क्रम-संख्या--161

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 10 मार्च, 1983

फाल्गुन 19, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायीका अनुभाग--1

संख्या 858/सत्रह-वि0-1-(क)-17/83

लखनऊ, 10 मार्च, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 8 मार्च, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1983)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

(2) यह 23 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 में धारा 8–कक का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में, धारा 8-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

महापालिका के गठन के लिए और नगर के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए अस्थायी उपबन्ध

"8-कक—(1) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र का संगठन धारा 3 के अधीन नगर के रूप में किया गया है और राज्य सरकार की राय है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए महापालिका का सम्यक् संगठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि—

(क) ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए संगठित नगरपालिका बोर्ड या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे दिनांक से, जैसा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसे आगे इस धारा में "विनिर्दिष्ट दिनांक" कहा गया है, यथास्थिति, विघटित हो जायगा या ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा;

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की और मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य विनिर्दिष्ट दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समिति या मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा;

(ग) प्रशासक को, ऐसे वेतन और भत्ते जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित्त नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिये जायेंगे।

(2) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(एक) उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित ऐसी समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; या

(दो) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या उप खण्ड (एक) के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 579 और 580 में दिये गये उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश में यथासंशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 858 (2) /XVII-V-1—1 (Ka) —17-82

Dated Lucknow, March 10, 1983 ....

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1983), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 8, 1983.

THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKA (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 3 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

Short title

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 23, 1982.

Insertion of section 8-AA in U. P. Act no. 2 of 1959.

2. In the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *after* section 8-A, the following section shall be *inserted*, namely—

"8-AA. (1) Where any local area has been constituted to be a city under section 3 and the State Government is of opinion that until the due constitution of Mahapalika for such area under this Act, it is expedient so to do, then the State Government may, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, by order direct that—

Temporary provisions for the constitution of Mahapalika and administration of the area notified as City.

(*a*) the Municipal Board or any other local authority constituted for exercising jurisdiction in such area shall, with effect from such date as may be specified in the said order, hereinafter in this section referred to as 'specified date', stand dissolved or, as the case may be, cease to exercise jurisdiction in such area;

(*b*) all powers, functions and duties of the Mahapalika, its Nagar Pramukh, Up Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee and other Committees established under clause (*e*) of section 5 and of the Mukhya Nagar Adhikari shall as from the specified date, be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator) and the Administrator shall be deemed in law to be the Mahapalika, the Nagar Pramukh, the Up Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee or other Committees, or the Mukhya Nagar Adhikari as the occasion may require ;

(*c*) such salary and allowances of the Administrator as may be fixed by general or special orders of the State Government in that behalf, shall be paid out of the Mahapalika fund.

(2) Subject to any general or special orders of the State Government, the Administrator may, in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (*b*)—

(i) consult such committee or other body, if any, constituted in such manner as may be specified in that behalf; or

(ii) delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the power so conferred to any person or Committee or other body constituted under sub-clause (i), to be specified by him in that behalf.

(3) The provisions of this section shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions contained in section 579 and section 580."

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) (Second) Ordinance, 1982 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Act, referred to in section 2, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of that Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एच० यू० पी०—ए० पी० 358 सा० (विधा०)—11-3-83—(3949)—1983—950 (मेक०)।